छात्र को परीक्षा दिलाने भीलवाड़ा लाई सीबीआई

भीलवाडा, (निसं)। राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र संदीप कुमार को नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार होने के बाद शुक्रवार को सीबीआई परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा में भीलवाड़ा लेकर आई।

अस्पताल में कमियां पाये जाने पर विभागाध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए

■ जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉ. खरे ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण

अजमेर। अजमेर संभाग के सबसे बडे जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉ अरविंद खरे ने आज अस्पताल उपाधीक्षक डॉ अमित यादव के साथ जेएलएन अस्पताल के वार्ड सहित आपातकालीन इकाई का औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान अस्पताल मे की तरह की कमियां पाये जाने पर विभागाध्यक्षो को आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किए।

निरीक्षण के दौरान डॉ जी सी मीणा, अतिरिक्त अधीक्षक, ज ला0 ने0 चिकित्सालय, अजमेर डॉ अमित यादव, उप अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर, तथा यशोदा नर्सिंग अधीक्षक, ज ला ने चिकित्सालय. अजमेर साथ रहे। निरीक्षण के दौरान निम्नांकित निर्देशा अधीक्षक द्वारा संबंधित को प्रदान किये गये। चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई के वार्ड एवं सीएमओं कक्ष का अवलोकन किया तथा सीएमओ कक्ष में प्रभारी को रैक्स एवं अलमारी इन्डेंट कराकर दवाईयों को व्यवस्थित तरीके से रखने के निर्देश प्रदान किये गये । आपातकालीन इकाई के बाहरी परिसर में भी डस्ट बिन लगाने के निर्देश प्रदान किये गये। बाहरी दीवारों पर पेंट व रिपेयर किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। चिकित्सालय परिसर में यत्रतत्र फैले हुए निर्माणाधीन / निर्माणोपरान्त पडे मलबे को तत्काल हटाने एवं सफाई करने हेतु निर्देशित किया गया और इसके साथ ही 24 घंटे चिकित्सालय के सम्पूर्ण भीतरी एवं बाहरी परिसर की नियमित सम्पूर्ण सफाई के लिये निर्देश भी दिए गए। चिकित्सालय के समस्त लोहे के चैनल गेटस की सफाई कर जमी मिट्टी निकालने के निर्देश दिये गये ताकि चैनल गेट को खोला व बन्द किया जा सके। चिकित्सालय के सी0 टी स्केन कक्ष तथा अन्य स्थानों, आपातकालीन इकाई, ईएमयू आदि स्थानों पर फाल्स सीलिंग की रिपेयर, टूटी हुई बैंचेज की वैल्डिंग करने तथा सीटी स्केन परिसर में हॉल में मरीजों के परिजन के बैठने के लिये चिकित्सालय बैंच लगवाने के निर्देश प्रदान किये गये। चिकित्सालय के समस्त गलियारों, ओपीडी परिसर, वार्डो, लैब परिसर आदि स्थानों पर कई जगह इलैक्ट्रिक पैनल खुले हुए थे कवर्ड नहीं थे एवं स्विच बट आदि टूटे हुए पाये गये जिनको व्यवस्थित कर नये लगाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। नो पार्किंग के स्थानों पर वाहन खडे हुए थे इस संबंध में भी पार्किंग ठेकेदार को नो पार्किंग में वाहन खड़े करने के लिये पाबन्द किया अन्यथा नियमानुसार पेनल्टी काटी जावेगी। चिकित्सालय के समस्त गलियारों एवं परिसर में ट्वलाईट्स लगाने के निर्देश दिये गये ताकि किसीं भी स्थान पर अंधेरा नहीं हो एवं मरीजों को असुविधा नहीं हो सके। चिकित्सालय के विभिन्न स्थानों जैसे ईएमयू परिसर, मेडीकल ज्यूरिस्ट, ईएनटी गलियारा, लैब परिसर आदि अन्य कई स्थानों पर सीलन थी।

अत: सीलन का निराकरण करने एवं प्लास्टर व पेंट करने के लिये निर्देशित किया गया। ओपीडी आदि स्थानों पर नई बैंचे. व्हील चेयर, स्ट्रेचर आदि की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता किये जाने हेतु कहा ताकि मरीजों को असुविधा नहीं हो सके। चिकित्सालय के समस्त स्थानो पर टूटी हुई खिडकियों, जालियों, दरवाजों की रिपेयर किये जाने तथा समस्त खिडकियों दरवाजों एवं जालियों का पेंट करने के निर्देश प्रदान किये गये। चिकित्सालय के एकत्रित किये जा चुके कंडम सामान का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। चिकित्सालय के रेडियोलोजी विभाग, आपातकालीन इकाई, ओपीडी आदि स्थानों पर चिकित्सक, रेजीडेंट चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ, फामोसिस्ट, लैब टेक्नि आदि एप्रिन एवं आईडी कार्ड पहने हुए नहीं थे।

अजमेर के जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने डॉ. अमित के साथ आपातकालीन इकाई का औचक निरीक्षण किया।

कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न

अरांई। पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार में हुआ। बैठक में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन के लिए चुनाव पर्यवेक्षक महेन्द्र कुमार सैन के सानिध्य में चुनाव हुए। इसमें सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया।

विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी आज

मसूदा। मसूदा विद्युत वितरण निगम के अधिकारी अतुल जोशी ने बताया कि दीपावली की आवश्यक रखरखाव के कारण 19 अक्टूबर शनिवार को प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 132 केवी जीएसएस मसूदा पर आवश्यक मरम्मत कार्य हुआ रख रखा होने के कारण 33/11 केवी जीएसएस शेरगढ़,लोडियाणा, रामगढ़ जामोला, मसूदा, खरवा, हरराजपुरा व अमरसिंह का बाड़िया से सम्बंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की बोलेरो पिकअप जब्त

ब्यावर, (निसं) जिला पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा के निर्देशानुसार व वृताधिकारी राजेश कसाना के निकटतम सुपरविजन में सदर थानाधिकारी गंगाराम खावा द्वारा पिकअप चोरी की वारदात का किया खुलासा किया जिसमे आरोपी ओमाराम जाट पुत्र पदमा राम जाट उम्र 24 साल के कब्जे से चोरी की पिकअप बरामद की ।06 अक्टुंबर को पुलिस थाना सदर पर शिकायत प्राप्त हुई की क्षेत्र से एक बोलेरो पिकअप नं आजे 21 जी.बी 8275 रात्रि मे चोरी चली गई है। वारदात की गंभीरता को देखते हुऐ थाना स्तर पर पुलिस टीम का गठन किया जाकर घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी फुटेज चैक किये गए। मुखबीर से प्राप्त पुख्ता सूचनाओ के आधार पर वारदात का खुलासा किया गया। लूट में संदिग्ध आरोपी को डिटेन कर आरोपी से गहनता से पूछताछ करने से पता चला की आरोपी डोडा पोस्त, स्मेंक व एमडी का नशा करने का आदि है।

अपनाघर आश्रम में एंबुलेंस सेवा की शुरुआत

बिजयनगर। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में अपनाघर की विचाराधारा के तहत कोई भी असहाय , बेघर, पीड़ित चिकित्सा की सुविधाओं सेवा एवं संसाधन के अभाव में दम ना तोड़े की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मसुदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने मानव सेवा अपनाघर आश्रम, विजयनगर में अभियान की शुरुआत करते हुए एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आश्रम की नई एंबुलेंस को कुमकुम टीका ,माला पहनाकर उदघाटन किया। विधायक कानावत ने आश्रम का निरीक्षण किया और आवासी बुर्जगो की दिन चर्या,रहन सहन,स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली । विजय गुप्ता, आश्रम केयर टेकर, मानव सेवा अपनाघर आश्रम ने सभी आगंतुक का स्वागत किया। इस अवसर पर नगरपालिका चेयरमैन अनिता मेवाड़ा, मंडल अध्यक्ष अनिल बोहरा, जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, रामगढ़ मंडल महामंत्री जगदेव सिंह राठौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामदेव पाण्डया, पार्षद राज कुमार आसवानी, मनोहर कोगटा, अल्पसंख्यक मंडल अध्यक्ष सद्दीक मोहम्मद आदि उपस्थित रहे।

बड़ी पुलिया का रास्ता जल्द खुलेगा

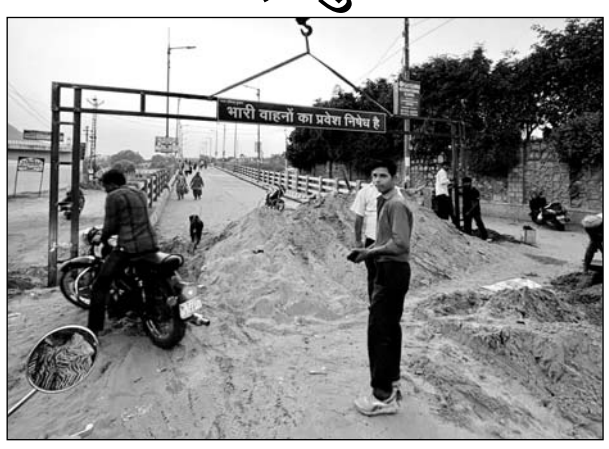

पुष्कर की बड़ी पुल साइन बोर्ड लगाते हुए परिषद के कर्मचारी।

पुष्कर। बड़ी पुलिया क्षति ग्रस्त होने के बाद रास्ता लगभग बंद था, कोई अनहोनी नहीं हो प्रशासन ने बंद कर दिया था। बड़े वाहनों को अब इस मार्ग पर प्रवेश बंद रहेगा।इस मार्ग से रात्रि में बजरी और कंक्रीट डंपर के निकलने की वजह से बड़ी पुलिया क्षति ठास्त हो गई थी। अब स्थानीय नगर परिषद ने कमेटी ने के निर्णय के बाद लाइट व्हीकल के साथ रस्ते को खोलने की तैयारी है। गोर तलब है कि कुछ दिनों में ही पुष्कर मेला शुरू होने वाला है। यात्रियों को भारी परेशानी होगी। जिला कलेक्टर के आदेश से बनी कमेटी ने निर्णयलेते हुए बता दिया था कि इस मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया जाए इसके बाद स्थानीय नगर परिषद ने एक बड़ा बोर्ड भी लगा दिया है। जिस पर लिखा गया है कि भारी वाहनोंका प्रवेश वर्जित है। और एक बैरिकेटिंग मार्ग पर कम ऊंचाई पर एंगल लगा दी गई है जिससे भारी वाहन इस रोड से नहीं निकाल सकेंगे।

"डेजर्ट बॉल" राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन

अजमेर, (कासं.)। अजमेर एक अच्छे खिलाड़ी में अनुशासन बेहद आवश्यक है और निरंतर अभ्यास से ही खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार सकता है, यह कहना था मुख्य अतिथि भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और जूनियर भारतीय टीम के कोच श्री राम कुमार का। वह वर्तमान में रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला टीम के कोच हैं, और भारतीय रेलवे पुरुष टीम के लंबे समय तक कोच रहे हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में, राम कुमार ने भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व किया और अपने खेल के दिनों के दौरान, भारतीय रेलवे ने आठ स्वर्ण, तीन रजत और तीन कांस्य पदक जीते।

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय में आज "डेजर्ट बॉल" राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ। यह प्रतियोगिता 19 अक्टूबर 2024 तक चलेगी, जिसमें देशभर की सर्वश्रेष्ठ टीमें अपने कौशल और जज़्बे का प्रदर्शन कर रही हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को खेल की प्रतिज्ञा दिला कर उत्साह वर्धन करते हुए खेल के नियमों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की इस पहल (डेजर्ट बाल) राष्ट्रीय प्रतियोगिता की सराहना की तथा कुलपति को इस निर्णय के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएँ हर खेल के लिए निरंतर आयोजित करनी चाहिए। विश्वविद्यालय में विश्व स्तरीय खेल व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए यह बेहद सराहनीय कार्य है।

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय में आज "डेजर्ट बॉल" राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ।

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रो. आनंद भालेराव ने अपने अभिभाषण में इस आयोजन की सफलता के लिए सभी प्रतिभागी टीमों और उनके संस्थानों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए स्पोर्ट्स कमिटी की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हर साल विभिन्न खेलों के लिए किया जाएगा, जिससे राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय खेलों के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बना सके। साथ ही, उन्होंने विश्वविद्यालय में उपलब्ध विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी।

प्रतियोगिता के दूसरे दिन दर्शकों ने रोमांचक और कड़े मुकाबलों का भरपूर आनंद लिया, जिससे टूर्नामेंट की खासियत और भी बढ़ गई। इस दिन के उद्घाटन मैच में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम ने जीत दर्ज की।

उद्घाटन समारोह में स्पोर्ट्स कमिटी के अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार ने सभी का अभिवादन किया और समारोह का समापन सचिव डॉ. सुनील पुरोहित के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ग्राम बोराज योजना के आवासीय / भूखण्ड सख्या -खसरा न 923 क्षेत्रफल 183.33 वर्ग गज के आवंटी / अन्तरिति श्रीमती सरदार कंवर पत्नि स्व राजेन्द्र सिंह मेहता निवासी म.न.8 वीर लोकाशाह कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर हाल निवासी राजदरबार कॉलोनी बिजयनगर की मृत्यु दिनांक 3/10/2017 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमश (1) श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री स्व राजेन्द्र सिंह मेहता पत्नि नोरतमल भण्डारी (बिजयनगर) (2)श्रीमती सुनीता पोखरणा पुत्री स्व राजेन्द्र सिंह मेहता पत्नि सुधीर पोखरणा (अजमेर) (3) श्रीमती संगीता बोहरा पुत्री स्व राजेन्द्र सिंह मेहता पत्नि गोतम बोहरा (जैतारण) (4) श्रीमती इन्द्रा लोढा पुत्री स्व राजेन्द्र सिंह मेहता पत्नि बहादुरसिंह लोढा (भीलवाड़ा) द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के सबंध मे किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय मे दर्ज कराये उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक -न.प.वि/निर्माण स्वी./2024/3530 **आम सूचना** दिनांक : 16.10.2024

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण

फाइल नं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का	प्रयोजनार्थ नाप
95	दातार सिंह नरूका पुत्र अमर सिंह नरुका	मानवपुरम बरल द्वितीय विजयनगर ख.सं. 912 प्लाट नं. 127 व 128 का हिस्सा	92.90 SQ.MTR	आवासीय
96	अनिल कुमार शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा	चांदमल विनाकियानगर बरल द्वितीय ख.सं. 822 से 830 भू.सं. 94	125.41 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राज.

क्रमांक: न.प.कि./कृ.भूमि/2024/576 **आम सूचना** दिनांक: 17/10/2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम जाटली के खसरा संख्या 903, 904/2, 904/3, 910 से 913, 917, 925 से 928 पर स्थित आवासीय (भूखण्ड संख्या 10- ए क्षेत्रफल 88.89 वर्गगज) पर श्री संदीप कुमार मेहता पुत्र श्री महावीर प्रसाद मेहता ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है।

उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है -

पूर्व में : 40 फीट चौडा रास्ता पश्चिम में : भूखण्ड संख्या 332

उत्तर में : 60 फीट चौडा रास्ता दक्षिण में : भूखण्ड संख्या 11 - ए

अत: उक्त नाम हस्तान्तरण प्रकरण में किसी भी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही होगी।

प्रभारी
नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राज.

क्रमांक: न.प.कि./कृ.भूमि/2024/574 **आम सूचना** दिनांक: 17/10/2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम जाटली के खसरा संख्या 903, 904/2, 904/3, 910 से 913, 917, 925 से 928 पर स्थित आवासीय (भूखण्ड संख्या 11-ए क्षेत्रफल 88.89 वर्गगज) पर श्री संदीप कुमार मेहता पुत्र श्री महावीर प्रसाद मेहता ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है।

उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है -

पूर्व में : 40 फीट चौडा रास्ता पश्चिम में : भूखण्ड संख्या 332 व 333

उत्तर में : भूखण्ड संख्या 10 - ए दक्षिण में : भूखण्ड संख्या 12-ए

अत: उक्त नाम हस्तान्तरण प्रकरण में किसी भी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही होगी।

प्रभारी
नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राज.

क्रमांक: न.प.कि./कृ.भूमि/2024/572 **आम सूचना** दिनांक: 17/10/2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम जाटली के खसरा संख्या 903, 904/2, 904/3, 910 से 913, 917, 925 से 928 पर स्थित आवासीय (भूखण्ड संख्या 12-ए क्षेत्रफल 88.89 वर्गगज) पर श्री संदीप कुमार मेहता पुत्र श्री महावीर प्रसाद मेहता ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है।

उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है -

पूर्व में : 40 फीट चौडा रास्ता पश्चिम में : भूखण्ड संख्या 333

उत्तर में : भूखण्ड संख्या 11 - ए दक्षिण में : भूखण्ड संख्या 13-ए

अत: उक्त नाम हस्तान्तरण प्रकरण में किसी भी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही होगी।

प्रभारी
नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ./24-25/भवन/564 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 18/10/2024

श्रीमति श्वेता टांक पुत्री श्री सज्जन सिंह टांक निवासी 617/36 गली नं. 7 भोपो का बाडा सोफिया स्कूल के पीछे अजमेर द्वारा एक भूखण्ड संख्या 17 जिस पर ए.एम.सी. नं. 12/193 422/9 12/191 अंकित है, जो वार्के हाथीभाटा अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 73.60 वर्गमीटर है, भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है।

पूर्व : भूखण्ड संख्या 16 पश्चिम : भूखण्ड संख्या 18

उत्तर : प्राईवेट हाउस दक्षिण : 20 फुट चौडा आम रास्ता

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/ संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस क अन्दर अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ./24-25/भवन/565 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 18/10/2024

श्री लालचंद चेनानी पुत्र श्री खूबचंद चेनानी निवासी म.न. 8 नवदुर्गा कॉलोनी भाटिया गार्डन के सामने चन्द्रवरदायी नगर अजमेर द्वारा एक भूखण्ड संख्या 16 जिस पर ए.एम.सी. नं. 12/193 422/9 12/191 अंकित है जो वार्के हाथीभाटा अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 60.03 वर्गमीटर है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानसार हैं।

पूर्व : भूखण्ड संख्या 15 पश्चिम : भूखण्ड संख्या 17

उत्तर : प्राईवेट हाउस दक्षिण : 20 फुट चौडा आम रास्ता

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/ संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस क अन्दर अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ./24-25/भवन/566 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 18/10/2024

श्री हीरानंद चेनानी पुत्र श्री खूबचंद चेनानी निवासी म.न. 8 नवदुर्गा कॉलोनी भाटिया गार्डन के सामने चन्द्रवरदायी नगर अजमेर द्वारा एक भूखण्ड संख्या 14 व 15 जिस पर ए.एम.सी. नं. 12/193 422/9 12/191 अंकित है जो वार्के हाथीभाटा अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 146.10 वर्गमीटर है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार हैं।

पूर्व : भूखण्ड संख्या 13 पश्चिम : भूखण्ड संख्या 16

उत्तर : प्राईवेट हाउस दक्षिण : 20 फुट चौडा आम रास्ता

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/ संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस क अन्दर अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक : योजना/2023-24/361 दिनांक 18/10/24

मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर सुधार न्यास से नगर निगम को हस्तान्तरित शास्त्रीनगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या E-3 क्षेत्रफल 570 वर्गगज के मूल आवटी श्री हरदयाल सिंह सिकन्द पुत्र रामदयाल निवासी E-3 शास्त्रीनगर, अजमेर के नाम है। श्री हरदयाल सिंह सिकन्द स्वर्गवास दिनांक 16.06.2017 श्रीमती कमला सिकन्द का स्वर्गवास दिनांक 23.08.2016 एवं श्री दीपक सिकन्द का स्वर्गवास दिनांक 13.06.2023 को हो चुका है। सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर श्री अनिता वालिया (पुत्री) विधिक वारिस है। श्री अनिता वालीया पत्नी श्री अजयवीर सिंह वालिया ने उक्त दस्तावेजो के आधार पर आवेदन सं. LSG / AIMER/MUT / 2023-24 / 91088 दिनांक 01.07.2024 को संयुक्त नामान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 कार्य दिवस के भीतर आपत्ति नगर निगम कार्यालय में दर्ज करायें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति, स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल : अजमेर

क्रमांक : 1094 **जाहिर आम सूचना** दिनांक: 17.10.24

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1-ख-13, अजवनगर, अजमेर क्षेत्रफल 50.22 व.मी. मूल आवंटी श्री सीतलदास मोतियानी पुत्र श्री हसमत राय को आवंटित कर दिनांक 06.02.1999 को मकान का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्री सीतलदास मोतियानी पुत्र श्री हसमत राय द्वारा आवास का वैचान जरिये इकरारनामा मुख्त्यारनामा एवं वसीयतनामा के श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री गोवरमल को कर दिया गया है। मण्डल द्वारा श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री गोवरमल में दिनांक 24.02.1997 को नियमितीकरण के आदेश जारी किये गये। नियमितीकरण पश्चात् श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री गोवरमल द्वारा दिनांक 20.10.1997 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीयन करवा लिया गया है। पजीयन पश्चात् श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री गोवरमल द्वारा गिफट डीड (उपहार विलेख) श्रीमती वैजयंती पत्नि श्री दिलीप कुमार के पक्ष में दिनांक 12.08.2024 को निष्पादित की गई, जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 923 में पृष्ठ संख्या 150 क्रम संख्या 202403002109004 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3692 के पृष्ठ संख्या 239 से 249 पर दिनांक 12.08.2024 को चस्पा किया गया है।

अब श्रीमती वैजयंती पत्नि श्री दिलीप कुमार ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती वैजयंती पत्नि श्री दिलीप कुमार का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है । बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी ।

आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल : अजमेर

क्रमांक : 1100 **जाहिर आम सूचना** दिनांक: 18.10.24

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 3/40-जी, नाका मदार अजमेर क्षेत्रफल 42.187 व.मी. मूल आवंटी श्रीमती चेताबाई पत्नि स्व. श्री गोपालदास को आवंटित कर 08.12.1989 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्रीमती चेताबाई पत्नि स्व. श्री गोपालदास की मृत्यु दिनांक 01.08.2001 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री बच्चानी सुशील कुमार पुत्र श्री गोपालदास बच्चानी द्वारा मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्री मनोज गोपालदास बच्चानी पुत्र श्री गोपालदास बच्चानी, श्रीमती छिवरानी किरण सुरेश कुमार, श्रीमती भावना पुरूषोत्तम काल्वानी, श्रीमती मीना बेदी पुत्रियां श्री गोपालदास बच्चानी द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब श्री बच्चानी सुशील कुमार पुत्र श्री गोपालदास बच्चानी ने उक्त आवास से संबधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री बच्चानी सुशील कुमार पुत्र श्री गोपालदास बच्चानी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड - अजमेर

नाम परिवर्तन आम सूचना

मैं बाबूलाल पुत्र कालूराम जाति रेगर निवासी सूरजपुरा बागमाल जिला ब्यावर का हूं । मेरी सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम बाबूलाल रेगर पुत्र कालूराम रेगर दर्ज चल रहा है। शुद्धिकरण में मेरा वास्तविक नाम बाबूलाल रेगर पुत्र कालूराम रेगर से जाना पहचाना जाएगा। मेरे इस नाम से किसी भी प्रकार का कोई एतराज वाद-विवाद हो तो सूचना प्रशासन के सात दिन में मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं।

- प्रार्थी बाबूलाल रेगर पुत्र कालूराम रेगर निवासी सूरजपुरा बागमल तहसील विजयनगर मसूदा जिला ब्यावर (राज.)

आम सूचना

मेरी पत्नी संपा देवी भील पत्नी राजू भील निवासी अरांई की मृत्यु दिनांक 1.7.2013 को मेरे निवास स्थान अरांई में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत अरांई में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी पत्नी संपा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बावत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मयदस्तावेज स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वी